राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(2)नविवि/पाली/2015 जयपुर, दिनांक : 30 MAR 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत नोटिस दिया जाता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.09.2004 द्वारा अनुमोदित पाली मास्टर प्लान 2023 में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान जयपुर द्वारा इस अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.08.2018 के द्वारा मास्टर प्लान के भू–उपयोग योजना मानचित्र 2023 में प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित कर दिया गया है। अतः पाली मास्टर प्लान 2023 में घुमटी से पणिहारी चौराहे तक प्रस्तावित 60 मीटर चौडी बाईपास सडक एवं इसके दोनो ओर प्रस्तावित 30 मीटर चौडी वृक्षारोपण पट्टी को विलोपित करते हुए इसका भू–उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी निर्धारित करते हुए एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित 60 मीटर चौडा बाईपास को समायोजित करते हुए नगरीकरण योग्य क्षेत्र के बाहर इसके दोनो ओर 30 मीटर चौडी वृक्षारोपण पट्टी रखते हुए संशोधन एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

पाली मास्टर प्लान 2023 की प्रति पर उक्त संशोधनों का निरीक्षण नगर विकास न्यास, पाली में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, पाली।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, पाली।
7. आयुक्त, नगर परिषद, पाली।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 30.3.21 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय